



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01042021-226335
CG-DL-E-01042021-226335

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 192]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 1, 2021/चैत्र 11, 1943

No. 192]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 1, 2021/CHAITRA 11, 1943

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2021

सा.का.नि. 243(अ).—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, धारा 6 और धारा 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पर्यावरण (संरक्षण) संशोधन नियम, 2021 है।

(2) ये नियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 की अनुसूची-1, के क्रम संख्यांक 25 में, “*टीपीपी (इकाईयां) इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर सीमाओं को पूरा करेंगी”, अक्षरों, कोष्ठकों और शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

“(i) पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, विद्युत मंत्रालय, केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सीईए) और केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रतिनिधियों से मिलकर बने कार्य बल का गठन केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) द्वारा सारणी-1 में यथाविनिर्दिष्ट तीन प्रवर्गों में सारणी-1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर उत्सर्जन मानदंडों के अनुरूप होने के लिए उनकी अवस्थिति के आधार पर तापीय विद्युत संयंत्रों के प्रवर्गीकरण हेतु किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी-1

क्र.सं.	प्रवर्ग	अवस्थिति/स्थान	अनुपालन के लिए समय सीमाएं	
			निवृत्त नहीं होने वाली इकाईयां	निवृत्त होने वाली इकाईयां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	प्रवर्ग क	10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र या शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 1	31 दिसम्बर, 2022 तक	31 दिसम्बर, 2022 तक
2	प्रवर्ग ख	गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्रों या गैर प्राप्ति शहरों की 10 किलोमीटर की परिधि के भीतर 2	31 दिसम्बर, 2023 तक	31 दिसम्बर, 2025 तक
3	प्रवर्ग ग	प्रवर्ग क और ख में सम्मिलित से भिन्न	31 दिसम्बर, 2024 तक	31 दिसम्बर, 2025 तक

1 भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार।

2 सीपीसीबी द्वारा यथापरिभाषित।

(ii) सारणी-1 के स्तंभ (5) में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के पूर्व निवृत्त होने के लिए घोषित तापीय विद्युत संयंत्र से, उस स्थिति में जहां ऐसे संयंत्र उनके निवृत्त होने के आधार पर झूट के लिए सीपीसीबी और सीईए को एक प्रतिज्ञान प्रस्तुत करते हैं, विनिर्दिष्ट मानदंडों को पूर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी:

परन्तु ऐसे संयंत्रों से, उस स्थिति में जहां उनका प्रचालन प्रतिज्ञान में यथाविनिर्दिष्ट तारीख से आगे जारी रहता है, जनित विद्युत के प्रति यूनिट पर 0.20 रुपए की दर से पर्यावरण प्रतिकर उद्धृत किया जाएगा;

(iii) निवृत्त नहीं होने वाले तापीय विद्युत संयंत्र से, सारणी-1 के स्तंभ (4) में यथाविनिर्दिष्ट तारीख के पश्चात्, सारणी-2 में विनिर्दिष्ट दरों के अनुसार पर्यावरण प्रतिकर उद्धृत किया जाएगा, अर्थात् :-

सारणी-2

समय-सीमा से आगे गैर अनुपालन प्रचालन	पर्यावरणीय प्रतिकर (रुपए प्रति यूनिट जनित विद्युत)		
	प्रवर्ग क	प्रवर्ग ख	प्रवर्ग ग
0-180 दिवस	0.10	0.07	0.05
181-365 दिवस	0.15	0.10	0.075
366 दिवस और अधिक	0.20	0.15	0.10"

[फा.सं. क्यू-15017/40/2007-सीपीडब्ल्यू]

नरेश पाल गंगवार, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना संख्या का.आ. 844(अ), तारीख 19 नवम्बर, 1986 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और उनका अंतिम संशोधन अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 662(अ), तारीख 19 अक्तूबर, 2020 द्वारा किया गया।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2021

G.S.R. 243(E).—In exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Environment (Protection) Rules, 1986, namely:—

1. (1) These rules may be called the Environment (Protection) Amendment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Environment (Protection) Rules, 1986, in Schedule – I, in serial number 25 for letters, brackets and words “*TPPs (units) shall meet the limits within two years from date of publication of this notification”, the following shall be substituted, namely: -

“* (i) A task force shall be constituted by Central Pollution Control Board (CPCB) comprising of representative from Ministry of Environment and Forest and Climate Change, Ministry of Power, Central Electricity Authority (CEA) and CPCB to categorise thermal power plants in three categories as specified in the Table-I on the basis of their location to comply with the emission norms within the time limit as specified in column (4) of the Table-I, namely: -

Table-I

Sl. No.	Category	Location/area	Timelines for compliance	
			Non retiring units	Retiring units
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Category A	Within 10 km radius of National Capital Region or cities having million plus population ¹ .	Upto 31 st December 2022	Upto 31 st December 2022
2	Category B	Within 10 km radius of Critically Polluted Areas ² or Non-attainment cities ²	Upto 31 st December 2023	Upto 31 st December 2025
3	Category C	Other than those included in category A and B	Upto 31 st December 2024	Upto 31 st December 2025

¹ As per 2011 census of India.

² As defined by CPCB.

(ii) the thermal power plant declared to retire before the date as specified in column (5) of Table-I shall not be required to meet the specified norms in case such plants submit an undertaking to CPCB and CEA for exemption on ground of retirement of such plant:

Provided that such plants shall be levied environment compensation at the rate of rupees **0.20** per unit electricity generated in case their operation is continued beyond the date as specified in the Undertaking;

(iii) there shall be levied environment compensation on the non-retiring thermal power plant, after the date as specified in column (4) of Table-I, as per the rates specified in the Table-II, namely:-

Table-II

Non-Compliant operation beyond the Timeline	Environmental Compensation (Rs. per unit electricity generated)		
	Category A	Category B	Category C
0-180 days	0.10	0.07	0.05
181-365 days	0.15	0.10	0.075
366 days and beyond	0.20	0.15	0.10.”

[F. No. Q-15017/40/2007-CPW]

NARESH PAL GANGAWAR, Jt. Secy.

Note: The principle rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number S.O. 844(E), dated the 19th November, 1986 and lastly amended vide notification G.S.R. 662(E), dated the 19th October, 2020.